

111
①^x

Ans ⑥ ⑤

संख्या- 324 /15-7-2004-164 1011/ 2003

प्रधान,

शिव प्रकाश गुप्त,
राष्ट्रिय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिविहार, नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

लक्ष्यक: दिनांक: 25 फरवरी, 2004

विषय:- जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर धाराणसी को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये भूँसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायलिजेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।



Original copy sent to Chairman.
R file it in EBSC Sanction file.
M
2/5

- 5- संस्था एवं वैशिक्ष एवं शिक्षांतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
 - 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
 - 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 8- विद्यालय का रिकार्ड अनिवारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
 - 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
 - 2- प्रश्नगत अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था के सोसायटी बाङ्गलाज में यह भी प्राविधान करा लिया जायेगा कि किसी भी शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

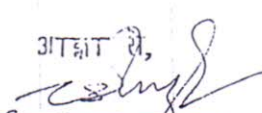
अमदाव,

॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
संयुक्त सचिव ।

प्रमुख एवं दिनांक तैय

प्रतिनिधि निम्नलिखित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 30900 लखनऊ ।
 - 5- प्रबंधक, जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर वाराणसी ।
- गार्ड फाइल ।

आज्ञा है,

॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
संयुक्त सचिव ।

